रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26062024-254951
CG-MH-E-26062024-254951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2024/आषाढ 5, 1946
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2024/ASHADHA 5, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 जून, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/185.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-

I. विनियम 4 में, खंड (ग) में,

i. चिह्नों तथा शब्दों "बशर्ते कि वे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तें पूरी करें:" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न आ जाएँगे, अर्थात्,-

"हालाँकि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:

i. एक अनिवासी भारतीय या किसी दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के एक नागरिक या फिर एक निवासी भारतीय (जो व्यक्ति हो) की हिस्सेदारी आवेदक के कॉर्पस में कुल हिस्सेदारी की पच्चीस प्रतिशत से कम हो;

ii. आवेदक के कॉर्पस में अनिवासी भारतीयों, किसी दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के नागरिकों और निवासी भारतीयों (जो व्यक्ति हों) की कुल हिस्सेदारी आवेदक के कॉर्पस में कुल हिस्सेदारी की पचास प्रतिशत से कम हो;

iii. निवासी भारतीय (जो व्यक्ति हों) जो भी पैसा लगाएंगे वह पैसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई "लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम" के जरिए ही उन ग्लोबल फंडों के माध्यम से लगाया जाएगा, जिनका भारत के संदर्भ में एक्सपोज़र पचास प्रतिशत से कम हो;

iv. अनिवासी भारतीयों, किसी दूसरे देश की नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के नागरिकों और निवासी भारतीयों (जो व्यक्ति हों) का आवेदक पर नियंत्रण न हो; और

v. ऐसी अन्य शर्तों का भी पालन किया जाए, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।"

ii. दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि खंड (ग) के उप-खंड (ii) के प्रावधान उस आवेदक के मामले में लागू नहीं होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित (रेग्यूलेटिड) हो और जिसका गठन भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में हुआ हो, हालाँकि उन शर्तों का पालन करना होगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ:

परंतु यह और कि इस विनियम के खंड (ग) के उप-खंड (i) से उप-खंड (iv) के तहत दी हुई शर्तों के संबंध में बोर्ड द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, जो छूटें पहले से दी हुई हैं वे छूटें जारी रहेंगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./201/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, मूल विनियम, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36 द्वारा, 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,–

(1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/44, द्वारा

(2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2020/09, द्वारा

(3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2021/32, द्वारा

(6) 26 अक्तूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2021/54 द्वारा

(7) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/ जी.एन./2022/64, द्वारा

(8) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा

(9) 14 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2023/128, द्वारा

(10) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(11) 10 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2023/143, द्वारा

(12) 3 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2024/183, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th June, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/185.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, –

I. in regulation 4, in clause (c),

i. the words and symbol "provided they meet the conditions specified by the Board from time to time:" shall be substituted with the following words and symbol, namely, -

"subject to the following conditions:

i. the contribution of a single non-resident Indian or overseas citizen of India or resident Indian individual shall be below twenty-five percent of the total contribution in the corpus of the applicant;

ii. the aggregate contribution of non-resident Indians, overseas citizens of India and resident Indian individuals in the corpus of the applicant shall be below fifty percent of the total contribution in the corpus of the applicant;

iii. the contribution of resident Indian individuals shall be made through the Liberalised Remittance Scheme notified by the Reserve Bank of India and shall be in global funds whose Indian exposure is less than fifty percent;

iv. the non-resident Indians, overseas citizens of India and resident Indian individuals shall not be in control of the applicant; and

v. any other conditions as may be specified by the Board from time to time."

ii. After the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely, -

"Provided further that the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) shall not be applicable to an applicant, regulated by the International Financial Services Centres Authority and based in the International Financial Services Centres in India and subject to conditions as may be specified by the Board:

Provided further that the existing exemptions specified by the Board in relation to the conditions under sub-clauses (i) to (iv) of clause (c) of this regulation as on the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2024 shall continue to remain in force."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./201/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36).
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on –

(1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.

(2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.

(3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.

(6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54

(7) 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64

(8) 9th November, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99

(9) 14th March, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/128.

(10) 3rd July, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.

(11) 10th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/143

(12) 3rd June, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/183.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA